न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास – झंवरलाल मित्तल, आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 96/2024 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1. गोवर्धन पुत्र मानाराम जाति बलाई नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) .... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0) ..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::–

श्री प्रताप सिंह चौहान ....अधिवक्ता प्रार्थी

विपक्षी की ओर से पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.04.2026

प्रार्थी की ओर से एक प्रा.पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 07.05.2025 को प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया की है कि प्रार्थीया की स्थामित्व अधिपत्य एवं खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि राजस्व ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भू.अ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा राज. की सरहद में स्थित है, जिसका वर्तमान आचजी विवरण इरा प्रकार से है खाता संख्या 496 खसरा संख्या 2039/2, 2040/2, 2042/2, 2044, 2045, 2046/2 कुल खसरे 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर मुझ प्राथी का 4/21 वा हिस्सा व खाता संख्या 248 खसरा संख्या 2043 रकबा 0.0759 हैक्टेयर गेमु.आचा. मुझ प्रार्थी का 5/28 वा हिस्सा निहित है जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की जमाबंदी 2078 वर्ष 2021 मय नकल व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि विरासत से प्राप्त हुई है जो कि वर्तमान में काबीज हो कर काश्त कर रहा है। यह है कि वादी की आराजी पुश्तैनी होकर अपना हिस्सा पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। यह है कि उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने से मुझे मेरे पिता माना पिता भुरा बलाई जाति बलाई से प्राप्त हुई है। यह है कि मुझ वादी का बोलता नाम गोदू है जब कि मेरे समस्त दस्तावेज में मेरा नाम गोवर्धन पुत्र माना राम बलाई है। यह है कि उक्त कृषि आराजी संख्या 2039/2, 2040/2, 2042/2, 2044, 2045, 2046/2 कुल खसरे 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर में मुझ प्रार्थी 4/21 वा हिस्सा में नाम गोदु पुत्र माना बलाई है, व आराजी संख्या 2043 रकबा 0.0759 हैक्टेयर गेमु.आचा. मुझे प्रार्थी कुल हिस्सा 5/28 वा है, जिसमें 2/21 वा हिस्सा में गोदू पुत्र माना जाति बलाई व 1/12 वा हिस्सा में गोरधनलाल पुत्र मानाराम जाति बलाई है। मेरे आधार कार्ड जनआधार बैक पासबुक, राशनकार्ड आदी दस्तावेज में मेरा नाम गोवर्धन बलाई पुत्र मानाराम बलाई है। गोदू पुत्र माना जाति बलाई मेरा बोलता नराम है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। मेरा राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम गोदू पुत्र माना जाति बलाई गोरधन पुत्र मानाराम जाति बलाई के स्थान पर गोवर्धन बलाई पुत्र मानाराम बलाई किया जावे। यह है कि उक्त आराजियात सरहद मंगरोप पटवार हल्का मुंगरोप भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में स्थिर होने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के सना पेश है।

अतः सादर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मंगरोप पटवार हल्का मंगरोप प्रथम भूअ.नि.क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिल। भीलवाडा राज. की सरहद में स्थित है जिसके खाता संख्या 496 खसरा संख्या 2039/2, 2040/2, 2012/2, 2044, 2015, 2016/2 कुल खसरे 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर भुझ प्राधी का 4/21 वा हिस्सा व खाता संख्या 248 खसरा संख्या 2043 रकबा 0. 0759 हैक्टेयर गेमुआवा. मुझ प्रार्थी का 5/28 हिरसा निहित है जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की जमाबंदी 2078 वर्ष 2021 मय नकल पेश है जिसमें मुझ प्रार्थी का नाम गोदू पुत्र नाना जाति बलाई गोरधन पुत्र मानाराम जाति बलाई के स्थान पर गोवर्धन बलाई पुत्र मानाराम बलाई लिया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे ताकि प्रार्थी की जमाबन्दी में प्रार्थी का सही हो सके भविष्य में कोई तख्लीफ न होवे।

प्रस्तुत प्रा0पत्र इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटीस जारी किये गये विपक्षी पेरोकार राज ने अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया के प्रा.पत्र के खण्डन ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोप प्रथम की खाता संख्या 496 आ.स. 2039/2 रकबा 0.1644 है0, 2040/2 रकबा 0.2150 है, 2042/2 रकबा 0.1265 है0, 2044 रकबा 0. 177080, 2045 रकबा 0.3035 है0, 2046/2 रकबा 0.3541 कुल किता 06 कुल रकबा 1. 3405है०, में गोदु पुत्र माना हिस्सा 4/21 जाति बलाई तथा आ.स. 2043 रकबा 0. 079किस्म गे०मु० आचा में गोदु पुत्र गाना हिस्सा 2/21 जाति बलाई एवं

गोरधनलाल पुत्र मानाराम हिस्सा 1/12 जाति बलाई वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। जिनकी जमाबन्दी नकल साथ संलग्न है। यह है कि जमाबन्दी संवत् 2045 से 2048 के अनुसार ग्राम मंगरोप के खाता संख्या 400 आ.स. 2039,2040,2041,2042, 2043,2044, 2045,2046,2047 किता 9 कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में खातेदार माना पिता भूरा हिसा 1/2 की विरासत के नामा सं. 1415 दिनांक 26.06.1990 से वारिसान गंगाराम, भेरू, गोदु शंकर, प्रथा पि० माना गु. लाली बेवा माना बलाई के नाम दर्ज रेकार्ड हुआ । यह है कि उक्त आराजियात वादी के नाम नामा० सं. 1415 दिनांक 26.06.1990 से दर्ज हुई तत्पश्पचात् नामा० सं. 1438 दिनांक 26.06.1990 से डिकी से बंटवारा हुआ। बंटवारे के वाद वर्तमान आराजी में वादी के हिस्से अनुसार नाग दर्ज हुआ। परन्तु फर्द बंटवारे में वादी ने अपने हस्ताक्षर गोडु नाम से किए है। यह है कि आ.स. 2039/2, 2040/2, 2042/2, 2044,2045,2046/2 कुल किता 06 रकबा 1.3405है0, में वादी का हिस्सा 4/21 गोदु पुत्र माना बलाई के नाम दर्ज है, आ.सं. 2043 रकबा 0.0759 किस्म गै०मु० आचा में हिस्सा 2/21 गोदु पुत्र माना (विरासत से) व हिस्सा 1/12 गोरधन पुत्र मानाराम (विकय से नामा सं. 3229 दिनांक 20.10.2011) से दर्ज है।

जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई प्रस्तुत बहस पर मनन किया पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन में अपने नाम का संशोधन चाहा गया है। प्रस्तुत दस्तावेजों यह तथ्य सुस्थापित है कि प्रार्थी का गोवर्धन बलाई पुत्र मानाराम जाति बलाई नाम है जबकि राजस्व अभिलेख जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गोदू पुत्र माना बलाई, गोरधन पुत्र मानाराम जाति बलाई अंकित किया गया है। हालांकि राजस्व रेकार्ड में नाम इन्द्राज करने में कोई कानुनी त्रुटी नही की है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र राजस्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार करते हुये ग्राम मंगरोप प.ह. मंगरोपव भू.अ.नि. मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा में स्थित खाता संख्या 496 खसरा संख्या 2039/2, 2040/2, 2042/2, 2044, 2045, 2046/2 कुल खसरे 6 रकबा 1.3405 हैक्टेयर व खाता संख्या 248 खसरा संख्या 2043 रकबा 0.0759 के लिए खातेदार का नाम गोदू पुत्र माना बलाई,

गोरधन पुत्र मानाराम जाति बलाई दर्ज किया हुआ है। उसके स्थान पर गोवर्धन बलाई पुत्र मानाराम जाति बलाई राजस्व रेकॉर्ड संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।

तद्नुसार अधीनस्थ तहसीलदार हमीरगढ राजस्व अभिलेख में संशोधन करने की सुनिश्चितता करें। आदेश की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को पालनार्थ भेजी जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 16—04—20263 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़
जिला भीलवाडा